

फोन : कार्यालय - 0551 - 2340363
आवास - 0551 -



प्रेषक,

कुलपति,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर - 273009

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय।

पत्रांक : सम्बद्धता/2015/1456

दिनांक 30/11/2015

सेवा में

प्रबन्धक,
श्री रत्नाथ ब्रह्मदेव महाविद्यालय, सलेमपुर,
देवरिया।

विषय : स्वदत्तपोषित खोजनन्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत प्रवक्ता के चयन अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 28.10.2015 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०ए० पाठ्यक्रम में प्रवक्ता के चयन का अनुमोदन इस शर्त के साथ सहप प्रदान करने की कृपा की है कि इन शिक्षकों के किसी अन्य महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में कार्यरत/अनुमोदन होने की दशा में इस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।

क्र.	प्रवक्ता का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	विषय
1	श्री अजय कुमार यादव	श्री धर्मराज यादव	04.08.1980	प्रवक्ता, बी०ए० (शिक्षा के परिप्रेक्ष्य)
2	श्री दिनेश कुमार मिश्र	श्री अरवली कुमार मिश्र	07.09.1979	प्रवक्ता, बी०ए० (शिक्षा के परिप्रेक्ष्य)
3	श्री संतोष कुमार चौहान	श्री प्रभु नाथ गौड़	10.08.1983	प्रवक्ता, बी०ए० (शिक्षा के परिप्रेक्ष्य)
4	श्री राम प्रकाश	श्री राम आसरे	07.08.1986	प्रवक्ता, बी०ए० (शिक्षण विषय)
5	श्री अनुरा कुमारी मिश्र	श्री राज प्रसाद मिश्र	14.05.1980	प्रवक्ता, बी०ए० (शिक्षण विषय)
6	श्री अनिलकुमार कुमारी सोनी	श्री लक्ष्मण प्रसाद सेठ	21.08.1992	प्रवक्ता, बी०ए० (शिक्षण विषय)
7	श्री रमेश कुमार द्विवेदी	श्री हार्दिला प्रसाद द्विवेदी	08.01.1980	प्रवक्ता, बी०ए० (स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा)
8	श्री मुनीश कुमार	श्री सुनील कुमार	07.09.1989	प्रवक्ता, बी०ए० (ललित कलाएं)

नोट-

- उपर्युक्त चयनित प्रवक्ता का अनुमोदन इस शर्त के साथ किया गया है कि यदि यह प्रकाश में आता है कि उक्त शिक्षक कहीं अन्यत्र कार्यरत हैं, तो उनका अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।
- क्रम संख्या 1 से 8 पर चयनित प्रवक्ताओं के नेट प्रमाणपत्रों की यू०जी०सी० से वेरिफिकेशन एक माह के अन्दर करा कर प्रस्तुत करने का कष्ट करें। एक माह के अन्दर उक्त प्रमाणपत्रों का वेरिफिकेशन सम्बंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त चयनित अभ्यर्थियों का चयन/अनुमोदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- अनुमोदित प्रवक्ता का वेतनमान/वेतन का स्पष्ट उल्लेख नियुक्ति पत्र एवं संविदा पत्र में करते हुए एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति में अनुमोदन निरस्त माना जायेगा।

शर्तें-

- महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्या 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति पत्र, फोटो सहित संविदा की प्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्त विभागाध्यक्ष/प्राचार्य/प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अनुबंध पत्र में समयावधि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
- शासनादेश संख्या 968/सत्तर-2-2013-18(99)/2013 दिनांक 30, मई, 2013 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप महाविद्यालय में स्वदत्तपोषित पाठ्यक्रमों के शुल्क से प्राप्त सकल आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा शिक्षकों के वेतन पर व्यय किया जाय तथा शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबंध पत्र में दिये जाने वाले वेतन, अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणकर्त कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय। अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय,

श्री रत्नाथ ब्रह्मदेव शिक्षा समिति
प्रबन्धक

अधीक्षक (सम्बद्धता)